छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 148/2006

श्री नितिन सिंघवी, ... **अपीलार्थी**
एम.आई.जी. 59,
सेक्टर–1, शंकरनगर,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी, ... **प्रतिअपीलार्थी**
मुख्य अभियंता,
राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सेतु निर्माण
संभाग, लोक निर्माण विभाग, रायपुर
(छत्तीसगढ़)

:: आदेश ::
(दिनांक 14 सितम्बर 2006)

अपीलार्थी श्री नितिन सिंघवी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत अपीलीय अधिकारी प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग के आदेश दिनांक 05–04–2006 से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की।

2/ अपीलार्थी ने अपील पत्र में उल्लेख किया है कि उसके द्वारा आवेदन दिनांक 10–1–2006 के द्वारा जानकारी चाही थी, जिसमें कि लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा लिखित नोटशीट दिनांक 9–8–2005 में पैरा क्रमांक–6 एवं आई.आर.सी. 53 व अन्य सूचना के संबंध में संबंधित नोटशीट में मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग ने उल्लेख किया है कि सी.आर.एम.बी. स्क्रेप टायर के टूकड़ों से बनाया जाता है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है। अपीलार्थी ने उन दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपि की मांग की, जिसके आधार पर मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग ने यह कथन किया है कि सी.आर.एम.बी. के उपयोग से वायुमण्डल अधिक प्रदूषित होगा। उसने यह भी मांग की कि यदि मुख्य अभियंता के द्वारा कोई स्टडी इस संबंध में कराई गई हो तो उसकी सत्यापित प्रतिलिपि भी प्रदान की जावे। दिनांक 14–2–2006 को मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सेतु परिक्षेत्र के सूचना अधिकारी के द्वारा सूचित किया गया कि जानकारी प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर से संबंधित है तथा सी.आर.एम.बी. का उपयोग करने से संबंधित मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग के पत्र दिनांक 11–8–2005 की प्रति अपीलार्थी को दी गई। दिनांक 17–2–2006 को अपीलार्थी को यह भी सूचित किया गया कि वांछित जानकारी कार्यालय के अभिलेख में उपलब्ध नहीं है। अपीलार्थी ने प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग को प्रथम अपील प्रस्तुत की। अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 5–4–2006 में उल्लेख किया कि जन सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सेतु निर्माण संभाग के

द्वारा प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग कार्यालय में उपस्थित होकर नोटशीट तैयार की गई थी। अतः इसी आधार पर अपीलार्थी को सूचित किया गया था। अतः अपीलार्थी की अपील, अपीलीय अधिकारी ने अस्वीकार की, जिसके विरूद्ध यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

3/ आयोग के द्वारा प्रतिअपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। प्रतिअपीलार्थी की ओर से श्री के.के.पिपरी, कार्यपालन अभियंता उपस्थित हुए। उन्होंने बतलाया कि अपीलार्थी को दिनांक 29–8–2006 को जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उसमें यह सूचित किया गया कि सी.आर.एम.बी. के उपयोग से वायुमण्डल प्रदूषित होता है इसके बारे में इस कार्यालय में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है तथा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार पर्यावरण प्रदूषित होने के संबंध में कोई स्टडी कराने बाबत् कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। अपीलार्थी ने बताया कि जन सूचना अधिकारी के द्वारा वायुमण्डल प्रदूषित होने के संबंध में कार्यालय में दस्जावेज उपलब्ध नहीं होने का उल्लेख किया है तथा श्री एस.एन.जस्ती, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता की टीप के बारे में कोई कमेन्ट्स नहीं होना बतलाया। इससे स्पष्ट है कि श्री जस्ती के द्वारा बिना किसी आधार के टीप दर्ज की गई थी। आयोग का यह मत है कि जन सूचना अधिकारी किसी अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत नोटशीट पर अपना अभिमत दिये जाने का अधिकार नहीं है। वह केवल अभिलेख ही उपलब्ध करा सकता है। अतः अपीलार्थी का यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता कि श्री एस.एन.जस्ती, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता के द्वारा द्वेषवश अथवा दुर्भावना से कोई टीप लिखी गई हो। यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 9–8–2005 की टीप केवल श्री जस्ती के द्वारा ही नहीं लिखी गई वरन् मुख्य अभियंता, योजना के द्वारा भी श्री जस्ती के साथ सम्मिलित रूप से एकजाई टीप लिखी गई है।

4/ आयोग के द्वारा अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया तथा उनके तर्कों को सुना गया। अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि सी.आर.एम.बी. का उपयोग न करने के संबंध में जिन तथ्यों का उल्लेख मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सेतु निर्माण संभाग तथा प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग के द्वारा नोटशीट में किया गया था तथा जिस पर प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग के द्वारा टीप दी गई। वह बिना किसी आधार के है, उसमें उल्लेख किये गये तथ्य का कोई आधार नोटशीट में नहीं बतलाया गया है और न ही अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध ही कराया गया है। प्रतिअपीलार्थी का यह कथन है कि उसकी नोटशीट में मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं मुख्य अभियंता, योजना के द्वारा सी.आर.एम.बी. के उपयोग के संबंध में सम्मिलित रूप से टीप दी गई थी तथा टीप प्रमुख अभियंता को प्रस्तुत की गई थी। अतः इसी आधार पर अपीलार्थी को सूचित किया गया था कि जानकारी प्रमुख अभियंता कार्यालय से संबंधित है। दिनांक 30–8–2006 को अनावेदक के द्वारा जवाब दिया गया कि अपीलार्थी को दिनांक 29–8–2006 को जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। अपीलार्थी के द्वारा यह बतलाया गया कि जानकारी विलंब से मिली है अतः अर्थदण्ड किया जावे। अपीलार्थी ने लिखित में बताया कि वह नये पदस्थ जन सूचना अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं। प्रतिअपीलार्थी ने बतलाया कि अपीलार्थी को चाही गई जानकारी दी जा

चुकी है तथा अपीलार्थी कोई अन्य और जानकारी चाहता है तो वह भी उपलब्ध करा दी जावेगी।

5/ आयोग के द्वारा पूर्व में अपीलार्थी की एक अपील प्रकरण क्रमांक 203/2006 एवं 207/2006 में यह आदेश दिया गया है कि प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग तथ्यों की जाँच करे तथा नोटशीट पर लिखे गये आधार के संबंध में निर्णय ले। यह प्रकरण भी इसी सी.आर.एम.बी. के उपयोग के संबंध में है। अतः उक्त दोनों प्रकरणों में प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग को दिये गये निर्देश इस प्रकरण में भी प्रभावशील होंगे।

6/ प्रमुख अभियंता कार्यालय में ही टीप तैयार की गई, अतः भ्रमवश उक्त जानकारी प्रमुख अभियंता कार्यालय से ही संबंधित होना बतलाया गया। प्रकरण में आये तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि जन सूचना अधिकारी के द्वारा जानबूझकर अथवा दुर्भावनावश जानकारी नहीं दिये जाने का प्रमाण नहीं है। अतः अर्थदण्ड आरोपित किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

7/ उपरोक्त सभी तथ्यों पर विचार कर अपील आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त